समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री हुक्मदेव नारायण यादव लोकसभा क्षेत्र मधुबनी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मधुबनी जिला अंतर्गत कुल 10 विद्यालयों में मल्टीजिम उपस्कर सामग्रियों को आपूर्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : ....14/5/18 को अपराह्ण 01:00 बजे तक निबंधित प्रतिष्ठानों/विकेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक : ....14/5/18.... को ही अपराह्ण 03:00 बजे जिला कय समिति के समझ खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वंय या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। मल्टीजिम की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : .... को अपराह्ण 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा PRD के बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :-

1. तकनीकी निविदा में 1,00,000/- (एक लाख) रूपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो, संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदादाता को आयकर, वाणिज्यकर से निबंधित होना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को आयकर रिटर्न एवं वाणिज्यकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड नं0 संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता का Turn over एक वर्ष में 50,00,000.00 (पचास लाख) रूपये का होना अनिवार्य है।
5. फर्म के नाम पर गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
6. सरकारी विद्यालयों में मल्टीजिम उपस्कर सामग्रियों की आपूर्ति का अनुभव प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते -

9. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते -

10. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
11. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
13. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोंत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
14. सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
15. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
16. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित विद्यालयों में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
17. वैट की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
18. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
19. विपत्र का भुगतान सशक्त कय समिति/निविदा समिति के गुणवत्ता जॉचोपरांत किया जाएगा।
20. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
21. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

11/3/18

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।